# पंचदश बिहार विधान सभा

## अष्टम् सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-22.02.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | डॉ० फैयाज अहमद, स०वि०स०<br>श्री अम्बिका सिंह, स०वि०स०<br>श्री दुर्गा प्रसाद सिंह, स०वि०स० | "मधुबनी जिला के विस्फी प्रखण्डान्तर्गत विस्फी भटरा मुख्य सड़क पर श्री शालीग्राम जी, पूर्व मुखिया के घर के पास पुल जो 1987 के प्रलयंकारी बाढ़ की विभीषिका में क्षतिग्रस्त हो गया था, जो आज भी यथा स्थिति में क्षतिग्रस्त है । बरसात में लगभग आठ महीना तक आवागमन बिल्कुल अवरूद्ध रहता है, जिससे हजारों लोगों को प्रखण्ड, जो मात्र 3 कि० मी० है, आने-जाने में लगभग 35 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ।<br>अत: उक्त पुल के निर्माण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।" | ग्रामीण कार्य |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | श्री संजय सरावगी, स०वि०स०<br>श्री विजय कुमार मिश्रा, स०वि०स०<br>श्री अशोक कुमार यादव, स०वि०स०<br>श्री शशि भूषण हजारी, स०वि०स०<br>श्री जवाहर प्रसाद, स०वि०स०<br>श्री गोपालजी ठाकुर, स०वि०स० | ''बिहार राजकीयकृत प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2011 के निदेशों के विपरीत जिला शिक्षा पदाधिकारी, दरभंगा ने अपने ज्ञापांक-4861 दिनांक-27 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत 1134 शिक्षकों की प्रोन्नति/स्थानान्तरण आदेश के पूर्व न अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की गई, न पन्द्रह दिनों तक आपत्ति मांगी गई । इस आदेश में वैसे शिक्षकों को भी प्रोन्नति दी गयी जिन विषयों के स्नातक डिग्री को विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु अमान्य किया गया । बिना विभागीय अनुमति के नियमित छात्र के रूप में स्नातक योग्यता सेवा काल में बढ़ाई । कला में 656 पदों के विरूद्ध 690 को प्रोन्नति दी गयी । उसी प्रकार पदस्थापना के मामले में प्रत्येक मध्य विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के एकल स्वीकृत पद के विरूद्ध कई विद्यालयों में 2 से 5 शिक्षकों को पदस्थापित किया गया । 15 सितम्बर, 2012 को आयोजित सर्वशिक्षा अभियान के जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की सहमति के बाद लौट्री द्वारा पदस्थापन प्रक्रिया पूरा करने का निर्णय लिया गया था, जिसकी अवहेलना की गयी ।<br>इन त्रुटियों के निराकरण एवं अनियमितताओं के लिये दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की ओर हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।'' | शिक्षा |

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-4/13- 140 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/02/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-4/13- 140 / वि०स०, पटना, दिनांक- 21 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

21/02/13
(राजकुमार रजक)
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।